IN THE COURT OF SUB-JUDGE II, CIVIL COURT, MADHUBANI

Misc. Case No- 23/2025

कृष्ण कुमार महतो ....वादी

बनाम

पवित्री देवी एवं अन्य ....प्रतिवादी

Date Of Order of Proceeding	Order with the Signature of the Court	Action Taken by office with Date
12-06-2026	आवेदक की वकालतन हाजरी दी गयी है। वाद पुकारा गया। पुकार पर आवेदक अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। आवेदक का कथन है कि आवेदक कृष्ण कुमार महतो की ओर से आदेश दिनांक 29.08.2024 ई0 द्वारा खारिज हकियत वाद सं0—10/1985 को पुर्नजिवित करने के लिए अंदर आदेश 09 नियम 04 वो दफा 151 सी0पी0सी के अन्तर्गत यह वाद दायर किया गया है। आवेदक काफी वृद्ध व बिमार व्यक्ति है। यह वाद सब जज, चतुर्थ के न्यायालय में चल रहा था जो स्थानांतरण के पश्चात् इस न्यायालय में आया। जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं हो सकी, जिस कारण हकियत वाद सं0—10/1985 दिनांक 29.08.2024 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। हकियत वाद सं0—10/1985 को खारिज होने से आवेदक को काफी नुकसानी होगी। आवेदक ने जानबुझकर कोई सुस्ती वो गफलत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 29.08.2024 के आदेश को रिकॉल करते हुए, विविध वाद प्रतिगृहित करते हुए हकियत वाद सं0—10/1985 को पुर्नजिर्वित करने की कृपा की जाय। सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह एक विविध वाद है तथा आवेदक ने अपने हकियत के वाद सं0—10/1985 जो दिनांक 29.08.2024 को खारिज कर दिया गया था, उसे पुर्नजिवित करने के लिए अंदर आदेश 09 नियम 04 वो दफा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत दाखिल किया है। अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी ने अपने हकियत वाद सं0—10/1985 को पुर्नजिर्वित करने के लिए यह वाद लाया है, जो काफी पुराना है तथा सन् 1985 ई0 का है। सन् 1985 ई0 से 1995 ई0 तक वादी के द्वारा 10 साल बीत जाने के पश्चात् भी उपरोक्त हकियत वाद में साक्ष्य शुरू नहीं किया गया तथा वाद को अनावश्यक बिना किसी पैरवी के सालों—साल लंबित रखा गया है। जिस कारण दिनांक 09.05.1995 ई0 को यह वाद वादी के द्वारा कोई साक्षी नहीं लाने के कारण तथा अनावश्यक लंबित रखने के कारण खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् वादी के द्वारा पुनः इसे विविध वाद सं0—12/1995 के द्वारा पुर्नजीवित किया गया। इसके बाद सन् 1995 ई0 से सन् 2024 ई0 तक यह वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित आ रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं है एवं पिछले 30 वर्षों में इस वाद में अपना साक्ष्य पूर्ण नहीं किया है और यह अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है। वादी के द्वारा इस अभिलेख में लापरवाही बरतने के कारण और अनावश्यक रूप से अभिलेख लंबित रखने के कारण इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.08.2024 ई0 को इस वाद को न्यायहित में अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। दिनांक 29.08.2024 ई0 के बाद करीब 08 महीना बिलंब से दिनांक 08.04. 2024 को यह विविध वाद हकियत वाद सं0—10/1985 को फिर से पुर्नजीवित करने हेतु दाखिल किया गया, जो काफी बिलंब से एवं वादी के द्वारा इस वाद में किये गये पुराने आचरण को ध्यान में रखते हुए हकियत वाद सं0—10/1985 ई0 को पुर्नजीवित करना अन्यायपूर्ण होगा। माननीय सर्वोच्च	**लगातार......02**

IN THE COURT OF SUB-JUDGE II, CIVIL COURT, MADHUBANI

Misc. Case No- 23/2025

कृष्ण कुमार महतो ....वादी

बनाम

पवित्री देवी एवं अन्य ....प्रतिवादी

Date Of Order of Proceeding	Order with the Signature of the Court	Action Taken by office with Date
लगातार............. **12-06-2026**	न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिशा–निर्देश के आलोक में 30 वर्षों से पुराने वाद को त्वरित रूप से निपटारा करने का आदेश है, परंतु इस वादी के आचारण को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि यह वादी अपने वाद का निपटारा करने के लिए यह वाद दाखिल नहीं किया है बल्कि वाद को अनावश्यक रूप से लंबित रखकर अनुचित लाभ लेना चाहते है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक जानबुझकर अपने वाद को उचित रूप से संचालित नहीं कर रहे है तथा न्यायालय का बहुमुल्य समय नष्ट कर रहे है। बार–बार विविध वाद दाखिल करने पर उन्हें मौका दिया जाता है। किंतु वे उस अवसर का सही सदुपयोग नहीं कर रहे है तथा वाद को उचित रूप से संचालित नहीं करते है। ऐसी परिस्थति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक को इस बार पुनः मौका देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–23/2025 न्यायहित में **खारिज** किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। **लेखापित** **सब जज, द्वितीय,** **मधुबनी।**	

IN THE COURT OF SUB-JUDGE II, CIVIL COURT, MADHUBANI

Misc. Case No- 23/2025

कृष्ण कुमार महतो ....वादी
बनाम
पवित्री देवी एवं अन्य ....प्रतिवादी

Date Of Order of Proceeding	Order with the Signature of the Court	Action Taken by office with Date

Schedule XLII – High Court No. (J) 9 [Old (M) 164]

IN THE COURT OF SUB-JUDGE II, CIVIL COURT, MADHUBANI

<u>Misc. Case No- 23/2025</u>

कृष्ण कुमार महतो ....वादी

बनाम

पवित्री देवी एवं अन्य ....प्रतिवादी